# न्यायालय अति. जिला कलक्टर, पाली

**पीठासीन अधिकारी : श्री भागीरथ बिश्नोई, आर.ए.एस.**

**पंचायत निगरानी : 76/2014**

**RCMS No. 2014/00157**

**प्रार्थी:–**

1 कोजाराम पुत्र भोपालराम जाति देवासी निवासी गुडा बच्छराज

2 समुदेवी पत्नी कोजाराम जाति देवासी निवासी गुडा बच्छराज

3 राजुराम पुत्र कोजाराम जाति देवासी निवासी गुडा बच्छराज

**बनाम**

**अप्रार्थीगण:–**

1. ग्राम पंचायत चण्डावल स्टेशन जरिये सरपंच
2. विकास अधिकारी, पंचायत समिति, सोजत

**पंचायत निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम**

**उपस्थिति –**

श्री श्याम पंचारिया, विद्वान अभिभाषक प्रार्थी
श्री गजेन्द्र दवे, विद्वान अभिभाषक अप्रार्थी संख्या 1
पंचायत प्रसार अधिकारी, रेस्पोडेन्ट संख्या 2 की ओर से

**–: निर्णय :–**

**दिनांक:–** 27/3/2018

प्रार्थी ने यह निगरानी अन्तर्गत धारा 97 राज. पंचायती राज अधिनियम 1994 के तहत ग्राम पंचायत, चण्डावल स्टेशन द्वारा मिसल संख्या 43/2012–2013, प्रस्ताव दिनांक 05.02.2014 तथा विकास अधिकारी पंचायत समिति, सोजत द्वारा पारित आज्ञा दिनरांक 21.02.2014 के विरूद्ध पेश की गई। निगरानी दर्ज रजिस्टर कर अप्रार्थीगण को जरिये नोटिस तलब किया गया। ग्राम पंचायत तथा विकास अधिकारी पंचायत समिति सोजत का रेकर्ड तलब किया गया। विद्वान अभिभाषक प्रार्थी की बहस सुनी गई।

विद्वान अभिभाषक प्रार्थी ने अपनी बहस में पंचायत निगरानी में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए कथन किया कि ग्राम गुडा बच्छराज में प्रार्थीगण का पुश्तैनी बाडा स्थित है, जिसके पूर्व में शिवजी पुत्र पुखजी व किशनी पुत्र पुखजी का बाडा, पश्चिम में भैरकी बेवा हिन्दुराम देवासी का बाडा, उत्तर में मांगीलाल, धर्माराम वगैरा का रहवासीय बाडा व मकान तथा दक्षिण में रास्ता व साण्डिया जाने वाली रोड़ स्थित है। उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का पिछले 200 वर्षो से रहवासीय व पशुपालन का बाडा स्थित है तथा मुरडावा से साण्डिया जाने वाले रास्ते के दोनो तरफ ग्राम गुडा बच्छराज की आबादी स्थित है तथा दोनो तरफ रहवासीय मकान व बाड़े स्थित है। उक्त भूखण्ड का पट्टा बनवाने हेतु प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष बार–बार आवेदन पत्र प्रस्तुत किये, किन्तु तत्कालीन सरपंच एवं उनके पुत्र द्वारा किसी प्रकार की कार्यवाही नहीं की। इसके पश्चात प्रार्थीगण द्वारा विभिन्न अधिकारियों को शिकायत करने पर पुनः दिनांक 21.12.2012 को अपने पुश्तैनी कब्जे व स्वामित्व के उक्त भूमि का पट्टा बनाने हेतु आवेदन पत्र प्रस्तुत किया, जिस पर देय शुल्क भी जमा करवाया गया। अधीनस्थ ग्राम पंचायत द्वारा उक्त मिसल में

अति० जिला कलक्टर, पाली

गलत तरीके से एवं विधि विरूद्ध कार्यवाही करते हुए दिनांक 05.02.2014 को आज्ञा पारित करते हुए प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने हेतु पंचायत समिति सोजत को प्रतिवेदन प्रस्तुत किया, जिस पर विकास अधिकारी पंचायत समिति सोजत द्वारा प्रार्थीगण को बिना सुनवाई का अवसर दिये तथा बिना करारोपण समिति के समक्ष पत्रावली को प्रस्तुत किए, दिनांक 21.02.2014 को प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने के आदेश पारित किए। प्रार्थीगण का किसी भी रूप में रास्ते की भूमि पर अतिक्रमण नहीं किया गया है तथा प्रार्थी के बाडे के आस पास भी आबादी बसी हुई है तथा प्रार्थी का निर्माण कार्य बिल्डिंग लाईन के समान्तर किया हुआ है। ग्राम पंचायत के भ्रष्टाचार को उजागर करने के कारण ग्राम पंचायत के सरपंच द्वारा बदले की भावना से प्रार्थीगण के विरूद्ध कार्यवाही की गई। प्रार्थीगण द्वारा ग्राम पंचायत के समक्ष आवेदन प्रस्तुत करने पर पंचायत का यह दायित्व था कि वे पंचायती राज नियम 1996 के नियम 140 से 160 में विहित प्रक्रिया की पालना करते, जो नहीं की जाकर बिना कोरम के समस्त कार्यवाही एक ही दिन में सम्पादित कर विधि विरूद्ध रूप से प्रार्थीगण को उक्त भूमि से बेदखल करने का आदेश पारित किया, जो विधि विरूद्ध है। मुरडावा से साण्डिया जाने वाली सड़क, जिसके समीप आबादी बसी हुई है तथा प्रार्थीगण सहित ग्रामवासियों के बाड़े व रहवासीय मकान स्थित है, उक्त मकान व बाडे वर्षो पुराने स्थित है। ग्राम पंचायत ने प्रार्थीगण के अलावा अन्य किसी व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही नहीं कर मात्र प्रार्थीगण को उसके भूखण्ड बाड़े की भूमि से वंचित करने की नियत से जैर निगरानी आज्ञा पारित की। अतः ग्राम पंचायत एवं विकास अधिकारी द्वारा विधि विरूद्ध रूप से जैर निगरानी आदेश पारित किया गया है, जो विधि विरूद्ध होने से खारिज योग्य है। अतः निगरानी स्वीकार करावें एवं जैर निगरानी आज्ञा अपास्त करावें।

बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। प्रार्थी द्वारा यह निगरानी ग्राम पंचायत, चण्डावल स्टेशन द्वारा मिसल संख्या 43/2012–2013, प्रस्ताव दिनांक 05.02.2014 तथा विकास अधिकारी पंचायत समिति, सोजत द्वारा पारित आज्ञा दिनरांक 21.02.2014 के विरूद्ध प्रस्तुत की है। जैर निगरानी आज्ञा की मिसल का अवलोकन करने पर यह प्रकट होता है कि पंचायत की आदेशिका दिनांक 20.01.2013 के अनुसार प्रार्थी कोजाराम द्वारा प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर पट्टा बनाने का निवेदन करने पर मिसल कायम की गई, किन्तु मिसल के संलग्न ऐसा कोई आवेदन पत्र प्रस्तुत नहीं किया। इसके पश्चात दिनांक 27.01.2013 को रोजगार सहायक को तीन वार्ड पंचो के साथ मौका निरीक्षण कर नजरी नक्शा प्रस्तुत करने के आदेश पारित किए। इसके पश्चात मिसल दिनांक 20.03.2013 को रिपोर्ट प्रस्तुत की गई, जिसमें मौके पर विवाद की स्थिति होने से बिना कोई नाप चौक किए ही रिपोर्ट प्रस्तुत की। जिसके पश्चात दिनांक 05.07.2013 को यह आदेश पारित किया गया कि उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का अवैध अतिक्रमण है, जो पूर्व में किसी ओर के कब्जे में था तथा पंचायत द्वारा अतिक्रमण हटाने के बाद समय बीतने पर प्रार्थी ने मौके का फायदा उठाते हुए बाड आदि कर अतिक्रमण कर लिया, अतः प्रार्थी को अतिक्रमण हटाने का नोटिस जारी करने के आदेश पारित किए। इसके पश्चात सिलसिलेवार कार्यवाही करते हुए दिनांक 05.02.2014 को वांछित भूमि से अतिक्रमण हटाकर सफाई करवाने के आदेश पारित किए। इसके पश्चात विकास अधिकारी पंचायत

अति० जिला कलेक्टर, पाली

समिति सोजत द्वारा जरिये पत्रांक/988 दिनांक 21.02.2014 को उक्त भूमि से अतिक्रमण हटाने के आदेश पारित किए।

न्यायालय में प्रस्तुत मौका कमिश्नर रिपोर्ट के अवलोकन से यह प्रकट होता है कि मौका कमिश्नर रिपोर्ट में दर्शित नजरी नक्शे में प्रार्थीगण के भूखण्ड को मार्क ए से दर्शाया गया है, उक्त भूखण्ड एवं सड़क से 29 फीट के भीतर जयराम पुत्र भोपालराम का बाडा बताया है तथा उसके पश्चात 30 फीट तक जैर निगरानी वादस्थ भूमि है। राजस्थान पंचायती राज नियम 1996 के नियम 161 (2)(घ) के अनुसार अन्य जिला सड़कों और गांव की सड़कों के मध्य से 50 फुट की दूरी तक पंचायत आबादी भूमि का विक्रय नहीं कर सकेगी। हस्तगत प्रकरण में प्रार्थीगण द्वारा जो भूमि चाही गई है, वह सड़क मध्य से 29 फीट की दूरी पर स्थित है, जिसका नियमों के परिप्रेक्ष्य में पट्टा जारी नहीं किया जा सकता है। इस कारण पंचायत द्वारा नियम 165 के तहत कार्यवाही करते हुए जैर निगरानी आज्ञा पारित की गई है, जिसमें किसी प्रकार के हस्तक्षेप की आवश्यकता प्रतीत नहीं होती है।

परिणाम स्वरूप प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत निगरानी सारहीन होने से खारिज की जाती है तथा ग्राम पंचायत, चण्डावल स्टेशन द्वारा मिसल संख्या 43/2012–2013, प्रस्ताव दिनांक 05.02.2014 तथा विकास अधिकारी पंचायत समिति, सोजत द्वारा पारित आज्ञा दिनरांक 21.02.2014 को यथावत रखा जाता है। निर्णय की सत्य प्रति के साथ ग्राम पंचायत तथा विकास अधिकारी पंचायत समिति सोजत का सम्बन्धित अभिलेख लौटाया जावे।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली

निर्णय आज दिनांक 27/3/2018 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया ।

(भागीरथ बिश्नोई)
अति. जिला कलेक्टर, पाली